

कार्यालय आदेश

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 58वीं बोर्ड बैठक की मद संख्या-58/18, दिनांक 03.01.2017 में प्राधिकरण आवासीय भूखण्ड योजना 2009(1) के अन्तर्गत आवंटित 1000 वर्गमीटर, 2000 वर्गमीटर एवं 4000 वर्गमीटर के भूखण्ड धारकों को यह विकल्प उपलब्ध होगा कि यदि इस योजना के आवंटीगण स्वेच्छा के आधार पर अपने भूखण्ड के समर्पण उपरान्त छोटे आकार का भूखण्ड लिये जाने के इच्छुक है तो वे निम्न नीति के अन्तर्गत छोटे आकार के भूखण्ड के लिये अनुरोध कर सकते हैं :-


1. आवासीय भूखण्ड योजना 2009(1) के अन्तर्गत आवंटित 1000 वर्गमीटर, 2000 वर्गमीटर एवं 4000 वर्गमीटर तक के भूखण्ड धारकों को छोटे आकार का भूखण्ड प्राप्त करने हेतु दिनांक 28.02.2017 तक आवेदन करना होगा। उपरोक्त मामलों में आवेदन की तिथि प्राधिकरण के कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि के अनुरूप होनी चाहिए डाक प्रमाण के आधार पर बाद के कोई दावा मान्य नहीं होगा।
2. उपरोक्त आकार के भूखण्ड सरेण्डर होने वाली भूमि सम्पूर्ण भूखण्ड क्षेत्रफल की कम से कम 50 प्रतिशत होने चाहिए।
3. उपरोक्त आकार के भूखण्ड के सरेण्डर होने की दशा में जिस आकार का भूखण्ड आवंटी को उपलब्ध कराया जायेगा उस नये भूखण्ड के सापेक्ष संबंधित भूखण्ड जो कि पूर्व में आवंटित था, उसकी जमा धनराशि में से नये आवंटित भूखण्ड के सापेक्ष समस्त प्रकार की देयता यथा लीज रेन्ट, 64.7 प्रतिशत धनराशि, अन्य अवशेष किश्तों की देयता धनराशि एवं जमा सहित समायोजित करने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे आवंटी को वापस किया जायेगा।
4. उपरोक्त आकार के भूखण्डों के सापेक्ष परिवर्तित किये जाने वाले नये आकार के भूखण्डों को लॉटरी पद्धति के आधार पर आवंटन किया जायेगा।

उपरोक्त आदेश प्राधिकरण की 58वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या 58/18 में लिये गये निर्णय के आधार पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(डॉ अरुण वीर सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
2. महाप्रबन्धक (वित्त/नियोजन), यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
3. विशेष कार्याधिकारी (एच/एस.बी./एम.) यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
4. महाप्रबन्धक/संबंधित उपमहाप्रबन्धक (परियोजना), यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
5. प्रबन्धक-1/II (सम्पत्ति), यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
6. गार्ड फाईल।


मुख्य कार्यपालक अधिकारी

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-पी-2, सेक्टर ओमेगा-1, ग्रेटर नौएडा सिटी - 201308, जिला-गौतमबुद्धनगर (उ०प्र०)
दूरभाष न० - 0120 - 2395201, फ़ैक्स न० - 0120 - 2395150